भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1059
उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता

1059. श्री कंवर सिंह तंवर :
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का अनुपालन करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ खेल संहिता का अनुपालन करें;

(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गई निधि का उपयोग देश में खेलों के विकास के लिए किया जाना सुनिश्चित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) एथलीटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पास किस हद तक उपयुक्त उपकरण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा खिलाड़ियों की सुरक्षा और देश में निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 ('खेल संहिता') युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का समामेलन है तथा यह एक डायनेमिक दस्तावेज है। खेल संहिता के प्रावधानों का पालन एक सतत प्रक्रिया है तथा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) द्वारा खेल संहिता के प्रावधानों के पालन के संबंध में उनकी निरंतर निगरानी करता है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त एनएसएफ बुनियादी एवं प्रमुख सिद्धांतों का पालन करें, जैसे एनएसएफ के पदाधिकारियों के संबंध में आयु

एवं कार्यकाल प्रतिबंध, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना, एथलीटों के हितों की सुरक्षा आदि। सरकार एनएसएफ द्वारा वर्ष-दर-वर्ष अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए खेल संहिता के प्रावधानों के पालन पर जोर देती है। जहां भी ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, वहां निलंबन, वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण न करने तथा मान्यता वापस लेने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (छ): एनएसएफ द्वारा स्वीकृत सरकारी अनुदान का उपयोग सुनिश्चित उद्देश्य के लिए करने हेतु, एनएसएफ से उपयोग प्रमाण पत्र और ऑडिट किए हुए खाते प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले एनएसएफ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के अधीन हैं।

सरकार खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त सुरक्षित माहौल प्रदान करने पर जोर देती है। एनएसएफ को सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और खिलाड़ियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक गियर और चिकित्सा सहायता सहित उचित उपकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के तहत, राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर/प्रतियोगिताओं आदि के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ मनोवैज्ञानिकों जैसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों सहित वैज्ञानिक सहायक कर्मचारियों को शामिल करने का प्रावधान है।

*****